

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पर 01/10/12 कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय को आम से ही किया जाये व कि किसी अन्य एजेंसी को नये व सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में एक सम्बन्ध हुआ हो तो एक प्रमाण एवं दिनांक अलग लिखा जावे तबत संतोष हो।



आम : सूचीबद्धि
दस्तावेज : (0751) 2341826
(0751) 2442829
फैसल : (0751) 2341788

प्रेषक :
कुलपति,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर
प्रमाण-एक/सम्बन्धता/2012/ 5381

दिनांक... 26/10/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध जैन महाविद्यालय, गिण्ड (07534-245839) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.ए. (सैन्य विज्ञान), बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति.वि.), एम.एस-सी. (सैन्य विज्ञान), एम.कॉम., बी.एस-सी. (अति.वि. माइक्रोबायोलॉजी) एवं पी.जी.डी.डी.ए., प्रारम्भिक कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्वायी सम्बन्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वामी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयक 27(10) के अन्तर्गत विम्बलनुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. उमेश होल्कारी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रवक्ता अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442704)
- (2) प्रो. आई.बी. सिंह, अति. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर एवं चम्बल संगम, मोतीमहल, ग्वा.
- (3) प्रो. अविनाश तिवारी आचार्य, वाणिज्यिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (4) प्रो. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयक 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सुचना, महोदय राशि, वांछित शैक्षणिक/वैशेषिक स्वीकृति, प्रतिकूल संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, शौचालय परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेन्स तथा पिछले सत्र में की गई शर्तों की पूर्ति गत प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशासनिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान उचित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सुचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेक है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिनों में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देयों के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आनुगत, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने तैयार। तदनुसार ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिचयक 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाखा में कर्मचारी अधीक्षक / कर्मचारी सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुसूची से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को पी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

कुलपति

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिनों के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आनुगत उच्च शिक्षा, अतपुत्रा भवन, भोपाल
4. कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलपति के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलपति (सम्बन्धता)